धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक-प्रगतिशील शक्तियों का एकजुटता सम्मलेन

"देश में फासीवाद और साम्राज्यवाद के मंडराते खतरे, चुनौतियाँ और रणनीतियां"

२२ और २३ जनवरी, २०१५ (गुरूवार एवं शुक्रवार)): स्थान: गोंडवाना भवन (टिकरापारा), रायपुर, छग

छत्तीसगढ़ के पुनर्निर्माण का
जन घोषणा-पत्र

धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक-प्रगतीशील शक्तियों के एकजुटता सम्मलेन में भाग लेने वाले हम सभी प्रतिभागी जो विभिन्न जन संगठनों, राजनैतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियन, सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रिय समूहों, स्वमसेवी संगठनों और प्रगतीशील बुद्धिजीवियो के प्रतिनिधि हैं, और समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक भारत के दर्शन में न केवल विशवास रखते हैं, वरन उसे साकार करने के लिए संघर्षरत हैं, और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और उसके निहित सिद्धांतों के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए वचनबद्ध हैं, जिन्हें संविधान की उद्देशिका में दर्शाया गया है:

"हम भारत के लोग, भारत को एक
(सम्पूर्ण प्रभातुव-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य)
बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विशवास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रा,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में,
व्यक्ति की गरिमा और
(राष्ट्र की एकता और अखंडता)
सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढाने के लिए,
दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारिख २६ नवम्बर १९४९ को,
एतद्द्वारा, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं."

हम चिंतित हैं कि भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार धार्मिक कट्टरपंथी शक्तियां (जो "हिन्दू राष्ट्र" का अपना ऐतिहासिक एजेंडा घोषित कर चुके हैं), राज्य पर अपनी राजनैतिक पकड़ मज़बूत करने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के संविधान के सार और सिद्धांतों पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं.

हमें कोई शक नहीं था कि नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व मैं बनी राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार हिन्दू राष्ट के दर्शन को लागू करने के प्रति काम करेगी, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय स्वम्सेवाक संघ (आर.एस.एस.) के वैचारिक दस्तावेज़ों में उनके संस्थापकों ने की है. ऐतिहासिक यथार्थ ने अब यह स्थापित कर दिया है कि भाजपा पूरी तौर से आर.एस. एस. के कब्ज़े में है, और उसके साथ-साथ तमाम ऐसे गुटों और घटकों के भी जो संघ परिवार के ही हिस्सा हैं, जैसे की विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल आदि, आदि.

इस सम्बन्ध में, भारत में आज़ादी के बाद से सांप्रदायिक शक्तियों का हिंसक इतिहास, और उससे ज़यादा गुजरात में नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में होने वाले जनसंहार का इतिहास को अब भाजपा द्वारा राज्य मशीनरी पर एकाधिपत्य कायम कर पुनर्जीवित किया जा रहा है, जैसे कि भारत में भाजपा शासन के पिछले २०० दिनों में स्पष्ट देखने को मिला है.

वर्तमान में तमाम एकाधिपत्य कानूनी कार्यवाई कर संसदीय जनतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को कमज़ोर बनाया जा रहा है, जैसे की अभी हाल में सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष और सदस्यों का स्तीफा, तमाम पत्रकारों और मीडिया के लोगों को सिर्फ इसलिए निकाला जाना कि उनका वैचारिक आधार शायद बामपंथी है, और शिक्षा के सम्प्रदयाकीकरण के इरादे से कुलपतियों या शिक्षण संस्थानों के मुखियाओं को बदलना, फिल्मों पर पाबन्दी और हिंसक हमले, आदि.

हम नए भारत के विकास के नारे, और नरेन्द्र मोदी के नेत्रत्व में "अच्छे दिन आने वाले हैं" जैसे नारों के पीछे छुपे एजेंडा के बारे मैं भी सजग हैं. यह पानी की तरह साफ़ है की भाजपा के नेत्रत्व में राजग सरकार कॉर्पोरेट जगत (देशी और विदेश/बहुराष्ट्रीय) के हित में भूमंडलीकरण के निर्धारित लक्षों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है, और इसी के चलते वह देश की बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा और विशाल मानव संसाधन मुनाफाखोरी के लिए उनके हाथों में बेझिझक और बेधड़क सौंप रही है. निजीकरण और नवउदारीकरण की नीतियों को लागू किया जा रहा है, जबकि तमाम लोगों को सुनियोजित और बेरहमी से हाशिये पर धकेला जा रहा है. इनकी एकाधिपत्य चरित्र के नेत्रत्व की भारत के संविधान में निहित मानव अधिकार और जनतांत्रिक अधिकारों के प्रति कोई आस्था नहीं है.

- श्रम कानूनों में उलटफेर करना जो ऐतिहासिक मजदूर आन्दोलन की उपलब्धियां रही हैं;
- भूमि-अधिग्रण अध्यादेश, कोयला अध्यादेश, बीमा अध्यादेश और अध्यादेश राज;
- "गरीबी रेखा" पर नए आंकड़े आना और उस पर बहस;
- हाशिये पर पड़े नर्मदा बाँध की उंचाई एकतरफा निर्णय से बढ़ाना;

- ख़ुफ़िया विभाग की रपट मीडिया में भेज कर कुछ गिने-चुने स्वमसेवी संगठनों और सामाजिक आंदोलनों को निशाना बनाना, कि वे देशद्रोही और विकास-विरोधी हैं;
- कॉर्पोरेट दुनिया और साम्राज्यवादी देशों में अभी हाल में चुनी गयी सरकार का स्वागत करना, अदानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदानों का ठेका मिलना (जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से ६०,००० करोड़ उपलब्ध कराया गया है), और अमरीकी राष्ट्रपति के साथ अनु-उर्जा सम्बंधित समझौते करना, आदि.
- गृह मंत्रालय द्वारा मध्य भारत में गृह युद्ध जैसे परिस्थिति पैदा कर सेना के इस्तिमाल की वकालत करना.

यह कुछेक ऐसे उदाहरण है जिससे "कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक-सुरक्षा-राज्य" के ढांचे के प्रति इशारा करते हैं, जो वर्तमान एकाधिपत्य सरकार के आने वाले इरादे को उजागर करते हैं. इसमें कोई शक नहीं, कि राज्य-मशीनरी आज खुले और बेशर्मी से अमीरों और सत्ताधारियों की सेवा में समर्पित है, और गरीगों और हाशिये पर खड़े लोगों के खिलाफ बेरहमी से खुल कर काम कर रही है.

हालांकि पूरे देश का स्वरुप अब इस "कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक-सुरक्षा-राज्य" के भावी रास्ते की दिशा में कैसे चल रहा है, यह तो साफ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनतांत्रिक प्रक्रियाओं को कैसे नज़रंदाज़ कर कॉर्पोरेट जगत की लूट और विनाश की नीति तो पिछले शासन काल से ही भाजपा सरकार लागू कर रही थी. अब केंद्र में भाजपा की राजग सरकार के चलते तो राज्य सरकार और धड़ल्ले और निर्ममता से एकाधिपत्य कानून व्यवस्था के तहत सभी विरोध के स्वरों और जनतांत्रिक आंदोलनों पर दमनचक्र चला रही है, ख़ास कर उनको जो भूमंडलीकरण के खात्मे, साम्प्रदायिकता का मुकाबला, और जनतंत्र की रक्षा में शामिल हैं.

- सलवा-जुडूम का नए अवतार में प्रगट होना, जैसे कि बस्तर में लगभग ५० ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कर गैर-हिन्दुओं को उनकी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित पूजा-पाठ और प्रचार पर पाबन्दी लगाना, फासीवाद को नयी बोतल में पेश करने जैसा ही है;
- मसीहियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमले, और "घर वापसी" जैसे अभियान जोर-शोर से चलाये जा रहे हैं, जो आदिवासियों, दलितों, भूमिहीनों, और किसानों-मजदूरों के बीच खाई खड़े करने के इरादे से चलाये जा रहे हैं, ताकि कॉर्पोरेट एजेंडा को बिना किसी जन-विरोध के लागू किया जा सके;
- बस्तर में कॉर्पोरेट एजेंडा (और पूरे छत्तीसगढ़ में) और सलवा-जुडूम (और अब गैर-हिन्दुओं को गाँव-गाँव में अपने धर्म को मानने पर पाबन्दी आदि) के बीच के गहरे रिश्ते को तमाम मानव अधिकार संगठनों और जन-संगठनों ने न केवल उजागर किया है, वरन उसे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-संवैधानिक और गैर-जनतांत्रिक घोषित किया था.

इसलिए, कॉर्पोरेट जगत के इरादों को पूरा करने की नियत से ही भूमि-अधिग्रहण और वन अधिकार कानूनों के जन-पक्षीय पहलुओं को भोथरा बनाने या निकालने का काम किया जा रहा है, और वहीँ दूसरी तरफ ग्राम सभाओं द्वारा अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा के मौलिक उद्देश्य को ही पैना बनाया जा रहा है, ताकि मुनाफा कमाने, लालच और ऐशो-आराम के लिए अंतहीन प्रयासों को और आसान बना दिया जाये. इसके विपरीत तमाम मेहनतकशों के जीने और जीविकौपर्जन के मौलिक अधिकारों के हनन की प्रक्रिया और भी तेज़ कर दी जा रही है, खास कर आदिवासियों, दलितों और महिलाओं की.

छत्तीसगढ़ की परिस्थिति और भी अधिक संवेदनशील है क्योंकि माओवादियों और राज्य के बीच द्वन्द और टकराव और भी तेज़ होते जा रहे हैं, जो राज्य के ज़्यादातर इलाकों में सक्रिय हैं. इसके चलते राज्य और भी कठोर और दमनकारी कानून बना रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ विशेष जन-सुरक्षा कानून, २००५, और राज्य मशीनरी द्वारा भारी संख्या में अर्ध-सैनिक बलों को आदिवासी और दलित बाहुल्य छेत्रों में तैनात करना, जिससे उनके जीवन, जीविकौपर्जन और संस्कृति पर हमला होता है. इस टकराहट और द्वन्द को वर्तमान परिवेश में नए सिरे से देखने-समझने की ज़रुरत है, ख़ास कर छत्तीसगढ़ में प्रगतीशील दलों और व्यक्तियों द्वारा नए प्रयास किये जाने होंगे.

हम इस सच्चाई से भी परिचित हैं कि **संप्रग** जैसे गठ्बंधनों वाली सरकारें भी ग्लोबल-कॉर्पोरेट भारत के निर्माण के लिए समर्पित हैं, हालाँकि फर्क सिर्फ इतना है कि वे फासीवादी शक्तियों के हमलावर चरित्र की नहीं हैं.

हम इस पहलू पर भी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि वर्तमान सरकार बामपंथी-जनतांत्रिक ताकतों और आंदोलनों पर दमनकारी हमले करेगी या कराएगी, विरोध के स्वरों को कुचलेगी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबन्दी लगायेंगे. केवल जनतंत्र की हत्या कर ही कॉर्पोरेट एजेंडा लागू किया जा सकता है, वह भी एक क्रूर और हिंसक शासन के ज़रिये ही, जिसमें भारत के संविधान में निहित संस्थाओं और प्रक्रियों को अलग-थलग करके ही.

देश में वर्तमान राजनितिक परिवेश में, और इससे भी अधिक छत्तीसगढ़ में, अब जन-संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, प्रगतीशील बुधिजीविओं, ट्रेड यूनियन, सामाजिक सक्रिय समूहों, और बामपंथी दलों के लिए यह लाज़मी है कि समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक भारत के निर्माण में एकजुटता दर्शा कर भावी रणनीति और कार्यक्रम बनायें. यह सम्मलेन सामूहिक चर्चा से निकले निष्कर्ष के आधार पर यह घोषणा करती है कि–

१. भारत के संविधान में निहित सार्वभौमिकता, समाजवादी, जनतांत्रिक, धर्म-निरपेक्ष मूल्यों और सिद्धांतों को संवर्धित और सुदृढ़ किया जाये;
२. सभी धर्मों को मानने वालों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता, उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जीवन निर्वहन करने दिया जाये. किसी एक धर्म के मानने वालों पर किसी दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती लागू करने की इजाज़त न दी जाये.

३. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश २०१४ को रद्द कर भूमि अधिग्रहण कानून २०१३ को बहाल किया जाये, तथा उसमें और अधिक किसान हितेषी प्रावधान जोड़े जायें.

४. कोयला अध्यादेश को निरस्त कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मंशा के अनुसार देश की वास्तविक जरुरत के लिए ही कोयला खदानों की नीलामी की जाये न कि कार्पोरेट मुनाफे के लिए. साथी ही ग्राम सभा की सहमती और प्रयावारणीय, वन अनुमति पहले से ली जाये, उसके बाद ही खदानों का आबंटन किया जाये;

५. छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन और खनिज सम्पदा का निजी उद्योगपतियों के हितों में दोहन बंद किया जाये;

६. श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन वापस लिया जाये. शासकीय व् निजी सेवाओं में नियमित श्रमिकों की भरती की जाये और ठेकाकरण बंद किया जाए;

७. जल, जंगल, ज़मीन का निजीकरण करना, सार्वजनिक उद्योग का निजीकरण करना और विनिवेशी करना बंद किया जाए;

८. "मेक इन इंडिया" की जगह "मेड इन इंडिया" की नीति पर चलते हुए देश में ज्यादा-से-ज्यादा रोज़गार के अवसर बढाकर, शहरी व् ग्रामीण छेत्रों में समस्त बेरोजगारों को काम दिया जाए व् उनकी खरीदने की छमता बढाई जाये;

९. केजी कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएट तक निशुल्क गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकार कानून बनाकर निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाये;

१०. किसानो को उनकी उपज की लाभकारी कीमत दी जाये. मनरेगा के तहत साल भर काम उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान रखा जाए, जिसमें कम-से-कम २०० दिन का काम दिया जाए, और शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम बनाया जाए. मनरेगा श्रमिकों को नियमित भुगतान किया जाए;

११. मनरेगा को केवल खेती श्रमिकों के साथ न जोड़ कर, कृषि-किसानी को इस योजना का सन्दर्भ बनाना चाहिए;

१२. वनाधिकार अधिनियम के तहत अब तक वंचित काबिज़ लोगों को वनाधिकार पट्टा दिया जाए;

१३. खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अमल करते हुए, सार्वजानिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया जाए;

१४. मंहगाई कम की जाये, और भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाए.

१५. "धर्मपरिवर्तन" और "घर वापसी" को संवैधानिक दायरे में लाकर इससे सम्बंधित कानूनों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेना चाहिए, ताकि धार्मिक आज़ादी को बहल किया जा सके;

१६. नशा-खोरी, शराब और अप-संस्कृति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और सामाजिक आन्दोलन करना चाहिए;

१७. महिला उत्पीडन और हिंसा, ख़ास कर मानव तस्करी सम्बंधित अपराधों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, और सामाजिक संघर्ष जारी रखना चाहिए;

१८. "पेसा कानून" और पांचवी व् छट्टी अनुसूची के मद्देनज़र राज्यपाल को उचित कानूनी कार्यवाही कर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि अनुसूचित इलाकों में शोषण और दोहन बंद हो;

१९. दमनात्मक और गैर-संवैधानिक कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, जैसे की आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFPSA), छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून २००५, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट २००८ (UAPA), और राजद्रोह जैसे उपनिवेशिक कानूनी प्रावधानों आदि को वापस लिया जाए;

२०. छत्तीसगढ़ में माओवाद से मुकाबले के नाम पर अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती, और वर्तमान **राजग** सरकार द्वारा सीधी सैनिक कार्यवाही की वकालत का विरोध किया जाना चाहिए, और पूरे छत्तीसगढ़ में शान्ति स्थापित करने की प्रक्रिया को सामाजिक न्याय, जन-अधिकारों के साथ जोड़ कर देखना होगा, ताकि आम नागरिकों के जीने के संवैधानिक अधिकार और जीविकौपर्जन के साधनों पर उनका कब्ज़ा बरक़रार रहे.

इस सम्मलेन के प्रतिभागी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा २४.१.२०१४ को घोषित:

१. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ; २. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा; ३. अखिल भारतीय आदिवासी महासभा; ४. खेती-बचाओ, जीवन-बचाओ आन्दोलन ; ५. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज –छत्तीसगढ़; ६. बैगा महापंचायत -- छत्तीसगढ़; ७. छत्तीसगढ़ महिला जाग्रति संगठन; ८. पारधी महापंचायत - छत्तीसगढ़; ९. छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन; १०. छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (मजदूर कार्यकर्ता समिति); ११. छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ; १२. छत्तीसगढ़ लेबर इंस्टिट्यूट; १३. नदी घाटी मोर्चा; १४. छत्तीसगढ़ क्रिस्चियन फ़ेलोशिप; १५. अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा; १६. एकता परिषद् – कांकेर; १७. एकता परिषद्; १८. भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन – छत्तीसगढ़; १९. छत्तीसगढ़ बाल श्रमिक संघ; २०. सबला दल (घरेलु कामगार संगठन); २१. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (लिबरेशन); २२. मुस्लिम बैतुलमाल फाउंडेशन; २३. आल इंडिया सेक्युलर फोरम – छत्तीसगढ़; २४. इंडियन सोशल एक्शन फोरम (इंसाफ) ; २५. दलित मुक्ति मोर्चा; २६. आल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम – छत्तीसगढ़; २७. आल इंडिया पीस & सॉलिडेरिटी आर्गेनाईजेशन – छत्तीसगढ़; २८. नेशनल अलायन्स ऑफ़ वीमेन (नवो) २९. जन सांस्कृतिक मंच; ३०. आल इंडिया लॉ फोरम.

अधक्षीय मंडल: १. चित्तरंजन बक्शी; २. जनक लाल ठाकुर ; ३. सी.एल. पटेल ; ४. नन्द कुमार कश्यप ; ५. सुधा भारद्वाज; ६. लाखन सिंह; ७. आनंद मिश्र

कोषाध्यक्ष हैं: गणेश राम चौधरी; ए पी जोसी.

संचालन समिति :राजेंद्र सायल (98268-04519); सुधा भरद्वाज (99266-03877); अलोक शुक्ल (94076-04811; गौतम बंदोपाध्याय (98261-71304); शेख अंसार (99932-33537); तेज राम (94255-60954)

==========

संपर्क पता: शशि कृषि फार्म, गाँव और पोस्ट तुमगांव, जिला – महासमुंद, पिन-कोड: 493-445, छत्तीसगढ़
इ-मेल: <rajendrasail@gmail.com>